न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00040

1. हलीम
2. कल्लू पिसरान मृतक श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. नरूबानो
4. मुमताज पुत्रियॉ मृतक श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. जुबेदा पुत्री मृतक अब्दुल रजाक पत्नी श्री अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी ग्राम बासी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. कसनूर पत्नी मृतक अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुकेत हाल कारावास महिला बन्दी सुधारगृह कोटा ।
7. चमेली बाई पत्नी मृतक श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. इस्लाम अली ।
2. अमीन
3. मसूद
4. मंसूर पिसरान मृतक श्री अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. नजमा
6. नवीन बेगम उर्फ गुड्डी पुत्रियॉ मृतक अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम सुकेत तसहील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2020/00041

1. हलीम
2. कल्लू पिसरान मृतक श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. नरूबानो
4. मुमताज पुत्रियॉ मृतक श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

5. जुबेदा पुत्री मृतक अब्दुल रजाक पत्नी श्री अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी ग्राम बासी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. कसनूर पत्नी मृतक अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुकेत हाल कारावास महिला बन्दी सुधारगृह कोटा ।
7. चमेली बाई पत्नी मृतक श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. इस्लाम अली ।
2. अमीन
3. मसूद
4. मंसूर पिसरान मृतक श्री अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. नजमा
6. नवीन बेगम उर्फ गुड्डी पुत्रियॉ मृतक अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम सुकेत तसहील रामगंजमण्डी जिला कोटा भ।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री रूपेश श्रृंगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

दिनांक: 15.06.2021

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तग्रत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया किया ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा कुल 06 किता की रकबा 2.96 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 7 के सम्मिलित खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । अप्रार्थीगण वादीगण

के हिस्से की भूमि में काश्त करने में अडचन पैदा करते हैं तथा खसरा नम्बर 463 की रकबा 1.86 हैक्टर भूमि किस्म चाही प्रथम में स्थित कुआ से वादीगण को कुआ एवं कुए पर स्थित थाले से पानी लेने में एवं कृषि कार्य करने में बाधा पैदा कर अढचन कर हस्तक्षेप करने से प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि 1/2 में कठिनाई पैदा होकर काश्त करने में परेशानी हो रही है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि संयुक्त खाते की वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें तथा शामलाती चाह से पानी लेने व थाले के उपयोग व उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करें तथा यथास्थिति कायम रखें ।

4. अप्रार्थी कम 07 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.01.2020 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि को सिंचाई हेतु स्थित चाह से पानी लेने से नहीं रोकने बाबत् आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2020 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी का दावा दायरी के 50 वर्ष पूर्व ही आपसी सहमति से विभाजन हो गया था । खसरा नम्बर 463 में स्थित कुआ पर प्रार्थीगण का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है । उक्त कुए का निर्माण अपीलान्ट के पिता अब्दुल रजाक जी ने स्वयं के खर्चे पर करवया और विद्युत कनेक्शन करवाया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र का निर्णय नहीं किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है । वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 के द्वारा एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसको सही रूप से खारिज किया है । इस पर अपीलान्टगण को कोई आपत्ति नहीं है इसके बाद अपीलान्ट के खिलाफ इस आशय का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को चाह से पानी लेने से नहीं रोकेंगे । यह आदेश अवैध

एवं त्रुटिपूर्ण है । प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में नहीं बनता है । परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से 50 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया था । प्रार्थीगण के पिता को साबिक खसरा नम्बर 320 की 24 बीघा, 325 की 02 बीघा, 328 की 05 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 329 की 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 330 की रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा कुल 06 किता की 11 बीघा 10 बिस्वा मिली है जिसके सेटलमेंट के उपरान्त नये नम्बर 463 रकबा 1.86 हैक्टर कायम किये गये । चाह का निर्माण अपीलान्टगण के पिता अब्दुल रजाक के द्वारा अपने खर्चे पर करवाया जाकर विद्युत कनेक्शन करवाया था और इस पर पक्का निर्माण करने के लिए एक प्रार्थना पत्र अब्दुल रजाक ने 20.12.1980 को सहायक अभियन्ता माइन्स को प्रस्तुत किया था और ग्राम पंचायत सुकेत को दिनांक 24.12.1980 को अनापत्ति दिये जाने हेतु हल्का पटवारी के द्वारा सिफारिश की गई थी । अब्दुल रजाक ने खसरा नम्बर 328 की 05 बीघा 09 बिस्वा में से विभाजन में प्राप्त 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर पक्के चाह का निर्माण किया था जिस पर वादीगण रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 469 में स्थित ओडी से सिंचित होती है । पूर्व में पक्षकारान के मध्य जब मुकदमा हुआ था तो एक मौका रिपोर्ट दिनांक 13.08.1990 को तैयार की गई थी जिसमें खसरा नम्बर 328 की 03 बीघा 09 बिस्वा आराजी पर अब्दुल रजाक और 02 बीघा भूमि पर अब्दुल अजीज के कब्जे का कथन किया गया था । अब्दुल रजाक का कब्जा ऊपरी हिस्से पर बताया गया था और कुए पर अब्दुल रजाक के बिजली की मोटर रखी होना अंकित किया गया था । इस प्रकार इस कुए पर रेस्पोडेन्टगण का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है जिसके लिए पृथक से अपील पेश की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2020 निरस्त फरमाया जावे तथा ताफैसला वाद प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

9. दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है जिसका विभाजन अभी नहीं हुआ है । अपीलान्टगण इस आराजी के विभाजन का कथन करते हैं परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आराजी संयुक्त खाते में ही दर्ज है । संयुक्त खाते की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच आराजी पर अधिकार होता है । अपीलान्टगण संयुक्त खाते पर चाह से रेस्पोडेन्टगण को पानी लेने से रोक रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 619 में कुल 06 किता की 2.96 हैक्टर आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, नक्शे की फोटो प्रति भी संलग्न की गई हैं । पत्रावली पर अपीलान्टगण की ओर से उनके पिता के द्वारा सहायक अभियन्ता माइन्स को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.1980 की फोटो प्रति और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 13.03.1991 की फोटो प्रति पेश की गई है और अब्दुल अजीज के द्वारा दिनांक 07.06.2018 को कृषि कनेक्शन के लिए सहायक

अभियन्ता को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, थानाधिकारी को पेश प्रार्थना पत्र एवं धारा 107, 151 के इस्तगासे की फोटो प्रति भी संलग्न की गई हैं ।

11. पत्रावली पर एक मौका रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न है जो कि उप जिला कलक्टर में लम्बित प्रकरण अब्दुल अजीज बनाम अब्दुल रजाक में दिनांक 13.08.1990 को तहसीलदार के द्वारा तैयार की गई है ।

12. वादग्रस्त आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें रेस्पोडेन्ट जो कि वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं उनके द्वारा एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय को खारिज किया है परन्तु प्रार्थना पत्र खारिज करने के उपरान्त सिंचाई हेतु चाह से पानी लेने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया है तो उस पर अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया जा सकता । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय ने अप्रार्थी अपीलान्ट के काउन्ट प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है ।

13. पत्रावली पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 13.03.1991 की प्रति संलग्न है जो कि तत्समय अब्दुल रजाक एवं अब्दुल अजीज के मध्य मुकदमे में पारित किया गया है । इस निर्णय में दिनांक 13.08.1990 की कमीश्नर की रिपोर्ट में जो स्थिति अंकित की गई है उसके अनुसार पक्षकारों को यथास्थिति रखने के लिए पाबन्द किया गया है । दिनांक 13.08.1990 की मौका कमीश्नर रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 328 में बगीचा संतरा, मक्की एवं गोभी बोई हुई है । खसरा नम्बर 328 का क्षेत्रफल 05 बीघा 09 बिस्वा है इसमें से 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि अप्रार्थी अर्थात् अपीलान्टगण के पिता एवं 02 बीघा प्रार्थी अर्थात् रेस्पोडेन्टगण के पिता के कब्जे में बताई गई है और खसरा नम्बर 328 में कुआ होना अंकित किया गया है और कुए पर अप्रार्थी की मोटर लगी हुई और प्रार्थी एवं अप्रार्थी के हिस्से के बीच मेर होना अंकित किया गया है । इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.03.1991 को दिनांक 13.08.1990 की मौका कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारों को यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है । यह निर्णय किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, ऐसा पक्षकारों ने अवगत नहीं करवाया है । ऐसी स्थिति में हम इस निर्णय की रोशनी में हम प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपील अपीलान्ट संख्या 2020/00040 एवं 2020/00041 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2020 निरस्त किये जाते हैं । इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 13.03.1991 की पालना करने हेतु उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 15.06.2021को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/6/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा